

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—06/वि0पत्रा0-24-45/2025

पटना, दिनांक—

मो0 नसीम, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-8043/वि0 दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-3 (G) (i) एवं लीव ट्रेवल कान्सेशन नियमावली, 1986 के परिशिष्ट के कंडिका-7 (1) के आलोक में ब्लॉक वर्ष 2022-2025 में अनुमान्य छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) को अग्रणित करते हुए अगले ब्लॉक वर्ष-2026-29 के प्रथम वर्ष में दिनांक-06.06.2026 से 14.06.2026 तक की अवधि में सपरिवार कश्मीर भ्रमण करने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(नीतू सिंह)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:— 06/वि0पत्रा0-24-45/2025 1515

पटना, दिनांक— 05/05/26

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आर्0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं मो0 नसीम, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की जाती है कि याचित अवकाश की स्वीकृति एच0आर0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से करायेंगे।

13
04.05.26

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।